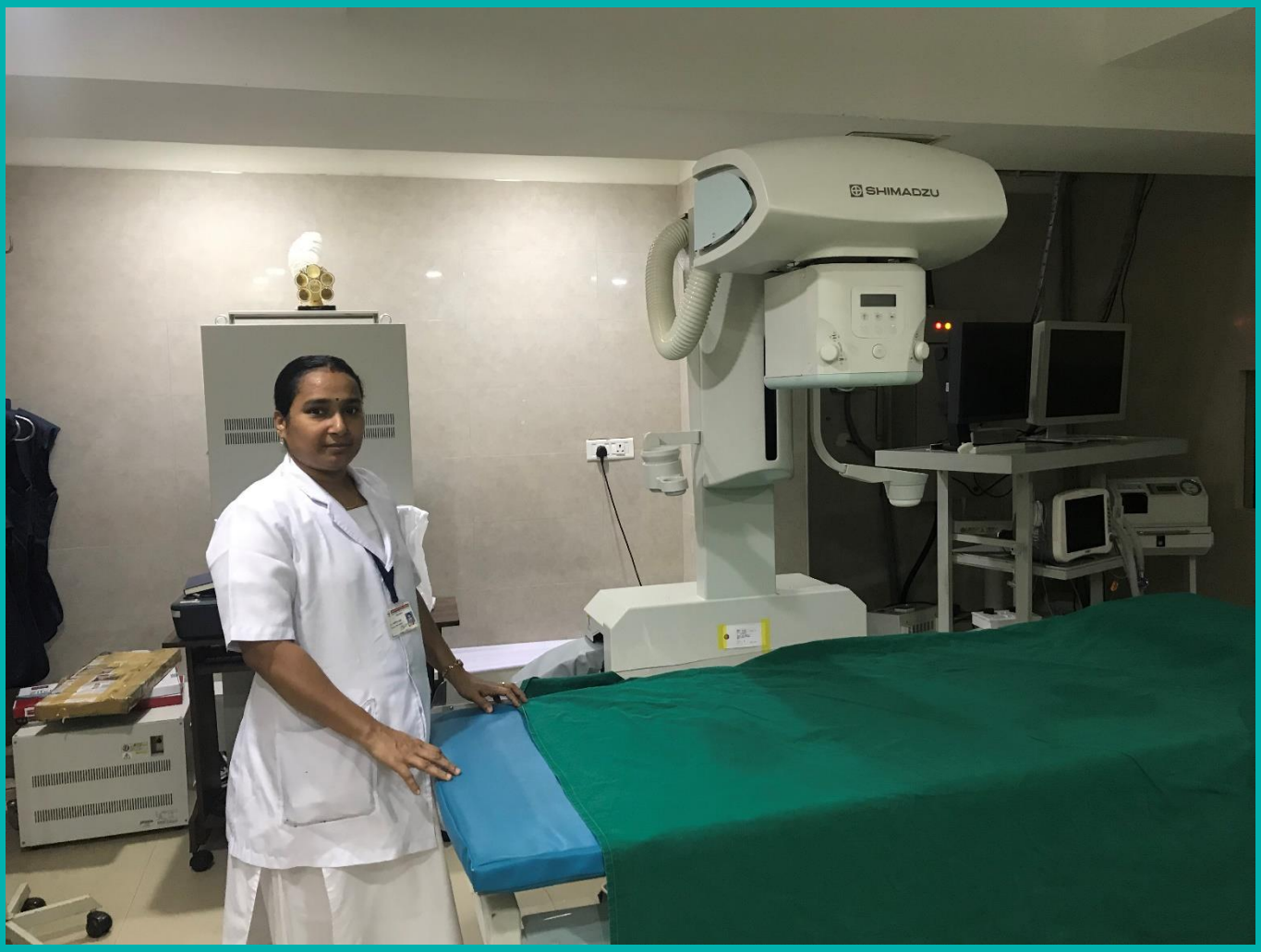

आयुष्मान सहकार

समग्र स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना, शिक्षा एवं सेवाओं हेतु सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एनसीडीसी की योजना

www.ncdc.in

रा.स.वि.नि.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) भारत सरकार के द्वारा संसदीय अधिनियम 1963 के अंतर्गत स्थापित एक शीर्ष स्तरीय सांविधिक संस्थान है। इसका गठन उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि उत्पाद के निर्यात और आयात, खाद्यपदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा आदि के लिए सहकारिता के सिद्धांतों पर योजना बनाने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। एनसीडीसी सहकारी समितियों को तीनों ही स्तर, प्राथमिक, जिला और सर्वोच्च / बहु-राज्य, पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनसीडीसी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।

एनसीडीसी ग्राहक सहकारी समितियों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देने वाले वित्तीय पावरहाउस के रूप में उभरा है। यह एक आईएसओ 9001: 2015 अनुपालक संगठन है।

एनसीडीसी अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालयों या नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से मूल्यांकन और अनुमोदन की एक सरल, पारदर्शी और मजबूत प्रणाली का अनुसरण करता है। यह सहकारी समितियों के लिए सर्वाधिक वांछित वित्तीय संस्थान है।

आयुष्मान सहकार

अस्पताल, स्वास्थ्य और शिक्षा को भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनसीडीसी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं में रखा गया है। एनसीडीसी अधिसूचित सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

> ***एनसीडीसी द्वारा की गई सहायता के साथ सहकारी समितियों द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थान सफलतापूर्वक लोगों की सेवा कर रहे हैं।***

उद्देश्य

माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त, 2020 को **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** प्रारंभ किया है। यह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा और प्रौद्योगिकी की सहायता से उपचार प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, क्रॉससेक्टोरल क्रियाओं के माध्यम से रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, मानवसंसाधन का विकास करने, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, ज्ञान का आधार तैयार करने, बेहतर वित्तीय सुरक्षा रणनीति विकसित करने, विनियमन और स्वास्थ्य आश्वासन को मजबूत करने और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है - अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे कि आयुष के साथ एकीकरण पर केन्द्रित है। यह देखा गया है कि ऋण सहायता में कमी के चलते, कई सहकारी अस्पतालों में मेडिकल शिक्षा के नए पहलुओं को शुरू करने में कठिनाई होती है, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी और बीयूएमएस के साथ-साथ पीजी/ डीएनबी कार्यक्रम भी शामिल हैं। तदनुसार, एनसीडीसी ने **आयुष्मान सहकार योजना** शुरू की है।इस योजना का उद्देश्य है-

क) सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों/ स्वास्थ्य सेवा/ शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की सहायता करना ,

ख) सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देना,

ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहकारी समितियों की सहायता करना

घ) राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन में सहकारी समितियों की सहायता करना,

च)सहकारी समितियों की सहायता के लिए शिक्षा, सेवा, बीमा और गतिविधियों से संबंधित व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

"राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमारे प्रयास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करती है जहां हर किसी के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा है"

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

आयुष्मान सहकार के अंतर्गत सम्मिलित की गई गतिविधियाँ

1. **अवसंरचना:**अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए निम्निलिखित को सम्मिलित करते हुए:

क)सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के लिए:

i) अस्पताल या मेडिकल / आयुष / दंत चिकित्सा / नर्सिंग / फार्मेसी / पैरामेडिकल / फिजियोथेरेपी कॉलेजों में स्नातक और या /स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिए ,
ii) योग कल्याण केंद्र,
iii) आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अन्य पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र,
iv) बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं,
v) उपशामक देखभाल सेवाएं,
vi) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं,
vii) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल,
viii) आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और आघात केंद्र,
ix) फिजियोथेरेपी सेंटर,
x) मोबाइल क्लिनिक सेवाएं,
xi) हेल्थ क्लब और जिम,
xii) आयुष फार्मास्युटिकल विनिर्माण,
xiii) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला,
xiv) डेंटल केयर सेंटर,
xv) नेत्र देखभाल केंद्र
xvi) प्रयोगशाला सेवाएं
xvii) डायग्नोस्टिक्स (निदान)सेवाएं,
xviii) ब्लड बैंक/ रक्ताधान सेवाएं,
xix) पंचकर्म / थोक्कनम /क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र,
xx) यूनानी चिकित्सा पद्धति की रेजिमेंटल थेरेपी (इलाज बिल तदबीर),
xxi) मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएं,
xxii) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं,
xxiii) किसी भी अन्य संबंधित केंद्र या सेवाओं को एनसीडीसी द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त माना जा सकता है ।

ख)टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सहायक चिकित्सा प्रक्रिया,
ग)रसद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा,
घ)डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,
च)भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा।

2) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित के संबंध में दिन- प्रतिदिन के संचालन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए **मार्जिन मनी**।

3) दिन - प्रतिदिन कार्यों के लिए **कार्यशील पूंजी ।**

योग्यता

कोई भी सहकारी समिति जो देश में किसी भी राज्य / बहु- राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिन के उपनियमों में स्वस्थ्य - सेवा / अस्पताल / स्वस्थ्य - शिक्षा से सम्बंधित सेवाएं शुरू करने के उपयुक्त प्रावधान के साथ योजना के अंतर्गत दिशानिर्देशों की पूर्ति की दशा में वित्तीय सहायता की पात्र होगी।

एनसीडीसी सहायता या तो राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से या सीधे सहकारिताओं को प्रदान की जाएगी , जो एनसीडीसी प्रत्यक्ष वित्त पोषण के दिशा निर्देशों के मानदंडों- को पूरा करती हैं।

भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य वित्त पोषण एजेंसियों की अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों के साथ संघटन में काम करने की अनुमति है ।

परियोजना लागत

वास्तविक आवश्यकतानुसार ।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 वर्ष कीअधिस्थगन सहित 8 वर्ष के लिए होगी, यह परियोजना के प्रारूप एवं राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

ब्याजदर

समय समय पर संशोधित ब्याज दर के लिए एनसीडीसी परिपत्र के अनुसार । **प्रोत्साहन के रूप में, एनसीडीसी इस परियोजना ऋण के लिए ब्याज की अपनी लागू दर से 1 % कम ब्याज देगा, यदि ऋण की पूरी अवधि के दौरान उधार लेने वाली सहकारी समिति में महिला सदस्य की संख्या अधिक हो और साथ ही यदि समय पर पुनर्भुगतान किया जाता है।**

प्रतिभूति

एनसीडीसी सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष अनुदान के तहत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक में या संयोजित रूप से ऋण के लिए प्रतिभूति प्रदान कर सकती है :

क) एनसीडीसी ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली संपत्ति सहित संपत्तियों को गिरवी रख सकती है;
ख) राज्य / केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;
ग) एनसीडीसी ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक अनुसूचित बैंकों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफ.डी.आर. को गिरवी रख सकती है;
घ) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सी.एस.आर फाउंडेशन द्वारा गारंटी;
च) अनुसूचित बैंकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;
छ) एनसीडीसी ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बॉन्ड / प्रतिभूतियों का असाइनमेंट एवं गिरवी।

सब्सिडी

एनसीडीसी ऋण सहायता को सब्सिडी वीजीएफ / अनुदान /भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य तंत्र या किसी अन्य वित्त पोषण एजेंसी के साथ संघटित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त पोषण की पद्धति

परियोजना को निम्नवत वित्त पोषण पैटर्न के साथ सहायता प्रदान की जाएगी:

अवसंरचना निर्माण (परियोजना सुविधाएँ):

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	एनसीडीसी से समिति को
ऋण* - 90%	ऋण* - 50% अंश पूंजी** - 40%	ऋण*- 70%
समिति का हिस्सा - 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा - 30%

* यदि सब्सिडी / अनुदान को भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य वित्त पोषण एजेंसी की किसी भी योजना के अंतर्गत संघटित किया गया है, तो ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो सकती है।

** यदि राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी का योगदान नहीं किया जाता है, तो उसे (40%) भी ऋण के रूप में समिति को प्रदान किया जाएगा।

मार्जिन मनी:

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार को	**राज्य सरकार से समिति को**	**एनसीडीसी से राज्य सरकार को**
बैंक क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए ऋण* 100% ***	ऋण* या अंश पूंजी या ऋण सह अंश पूंजी 100% ***	ऋण* 100% ***

* यदि सब्सिडी / अनुदान को भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य वित्त पोषण एजेंसी की किसी भी योजना के अंतर्गत संघटित किया गया है, तो ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो सकती है।

*** मार्जिन मनी सहायता की योग्यता मूल्यांकन के अधीन है।

कार्यशील पूँजी:

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्त पोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार को	**राज्य सरकार से समिति को**	**एनसीडीसी से राज्य सरकार को**
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

समुचित सावधानी:

एनसीडीसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पहले मूल्यांकन के अपने मानक अभ्यास और समुचित सावधानी प्रक्रिया सम्पन्न करेगी ।

एनसीडीसी की अन्य योजना एवं सहायता के पैटर्न, एनसीडीसी वित्त पोषण का लाभ प्राप्त करने के लिए मानकों और सामान्य मानदंड, सामान्य आवेदन प्रपत्र आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncdc.in वेबसाइट पर जाएं या वेबसाइट पर उपलब्ध पते और संपर्क नंबरों पर एनसीडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय से संपर्क करें।

आयुष्मान सहकार

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

4, सिरी इंस्टीट्युशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली 110016, भारत